छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई, 2014

(श्रावण-3, शक संवत 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 एवं 06 से 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री राजू सिंह क्षत्री अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के स्थान पर श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 67 तारांकित एवं 83 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज दोपहर 12.50 पर माननीय राज्यपाल महोदय के शपथ ग्रहण के निमंत्रण पत्र समस्त सदस्यों को प्राप्त हो गये हैं। प्रश्नकाल के पश्चात् 12.00 बजे सभा की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिये स्थगित होगी, ताकि समस्त सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले सकें। सभा की बैठक 2.30 बजे से कार्यसूची के कार्य संपन्न करने के लिए पुनः आरंभ होगी।

(12.00 से 2.33 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का सामान्य, सामाजिक व आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या-1,

(2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16, सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2013-14 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(3) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कम्पनी अधिनियम 1956 (क्रमांक 1, सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का आठवां, नौवां, दसवां एवं ग्यारहवा वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12,

(4) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट),

(5) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का 48वां एवं 49वां वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 2011-2012 (1 जुलाई, 2011 से 30 जून, 2012) एवं 2012-13 (1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2013),

(6) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2011-12,

(7) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) की धारा 39 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 9-5/2004/तक.शि./42, दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-नया रायपुर परिनियम, तथा

(8) श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005) की धारा 16 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, **पटल पर रखे।**

4. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रदेश में फसल बीमा योजना अंतर्गत निजी बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 30 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने प्रदेश में फ्लोराइड युक्त पानी से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामसेवक पैकरा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत खराब भोजन से एक छात्रा की मौत होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
(3)	श्री दलेश्वर साहू
(4)	श्री शंकर ध्रुवा
(5)	श्री उमेश पटेल
(6)	श्री उमेश पटेल, डॉ.खिलावन साहू, श्री भैयाराम सिन्हा
(7)	सर्वश्री देवजी भाई पटेल, टी.एस.सिंहदेव
(8)	श्री मोहन मरकाम
(9)	श्री टी.एस.सिंहदेव
(10)	श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
(12)	श्री मोतीलाल देवांगन
(14)	श्री गिरवर जंघेल
(15)	श्री अरूण वोरा
(16)	श्रीमती सरोजनी बंजारे
(17)	श्री मोतीलाल देवांगन
(18)	श्री संतोष उपाध्याय
(19)	श्री देवजी भाई पटेल
(20)	सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल
(21)	सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, लखेश्वर बघेल
(22)	सर्वश्री भूपेश बघेल, लखेश्वर बघेल, अमित अजीत जोगी

(23) श्री संतोष बाफना

(24) श्री संतोष बाफना

(25) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम

(26) श्री दलेश्वर साहू

(27) श्री शिवरतन शर्मा

(28) श्री दलेश्वर साहू

(29 सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा)

(30) श्री धनेन्द्र साहू

6. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267 क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री मोहन मरकाम
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री मोतीलाल देवांगन
4. श्री भोलाराम साहू
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा)
7. श्री टी.एस.सिंहदेव
8. श्री भूपेश बघेल
9. श्री संतोष बाफना
10 श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
11. श्री लखेश्वर बघेल
12. श्री शिवरतन शर्मा
13. श्री दीपक बैज
14. श्री श्रवण मरकाम

7.प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री टी.एस.सिंहदेव, सभापति ने लोक लेखा समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8.याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री लालजीत सिंह राठिया

(2) श्री राजमहंत सावंलाराम डाहरे

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस.सिंहदेव,नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस.सिंहदेव,नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस.सिंहदेव,नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस.सिंहदेव,नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

10. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

प्रदेश में अतिवृष्टि से जन-धन की हानि होने के संबंध में

डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री भूपेश बघेल, बृहस्पत सिंह, लाभचंद बाफना, उमेश पटेल, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, अरूण वोरा, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, गोवर्धन सिंह मांझी।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

11. अशासकीय संकल्प

(1) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि " प्रदेश में हाईटेंशन लाईन के विस्तार हेतु निर्मित टावर से प्रभावित किसानों हेतु पर्याप्त मुआवजे का प्रावधान किया जाय."

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, भूपेश बघेल, देवजी भाई पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, उमेश पटेल, लखन देवांगन, दलेश्वर साहू, (डॉ.) विमल चोपड़ा, केशव चंद्रा, लालजीत सिंह राठिया,

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया कि " भूमि फसल मुआवजा " के स्थान पर " जमीन मुआवजा देने का प्रावधान " प्रतिस्थापित किया जाय।

प्रस्तुतकर्ता सदस्य ने इस पर सहमति व्यक्त की। तद्नुसार- " प्रदेश में हाई टेंशन लाईन के विस्तार हेतु निर्मित टावर से प्रभावित किसानों की जमीन के मुआवजे का प्रावधान किया जाय।"

यथासंशोधित संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

(2) सदन का यह मत है कि " जिला महासमुंद के पिथौरा में राज्य कुष्ठ अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जाय."

श्री चुन्नीलाल साहू, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य एवं अन्य औपचारिक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.खिलावन साहू, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ.विमल चोपड़ा।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं प्रस्तुतकर्ता सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया।

प्रस्तुतकर्ता सदस्य ने संकल्प वापस लेने पर सहमति व्यक्त की।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान पर माननीय सदस्य के निर्विरोध, निर्वाचन की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबधी समिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग से रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 22 जुलाई, 2014 को सायं 5.00 बजे तक श्री गोवर्धन मांझी का नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुआ है1

चूंकि समिति में एक ही स्थान की पूर्ति की जाना है। अतः उन्होंने श्री गोवर्धन सिंह मांझी, सदस्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2014-2015 की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।

13. नियम-167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-167 के परन्तुक के अंतर्गत माननीय सदस्य, श्री बृहस्पत सिंह द्वारा पूर्व कलेक्टर बलरामपुर, डॉ. सी.आर. प्रसन्ना के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 21/02/2014 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(2) छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-167 के परन्तुक के अंतर्गत माननीय सदस्य, डॉ. विमल चोपड़ा द्वारा श्रीमती आर. संगीता, पूर्व कलेक्टर महासमुंद के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 11/03/2014 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(3) छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-167 के परन्तुक के अंतर्गत माननीय सदस्य, श्री भैयाराम सिन्हा द्वारा दैनिक समाचार पत्र आज की जनधारा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 09/06/2014 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

14. नियम-239 के अंतर्गत विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य द्वारा मधुबन गृह निर्माण सहकारी समिति, रायपुर के संबंध में श्रीमती सावित्री भगत, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रायपुर, श्रीमती किरण गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर तथा श्री टी.के.चंद्राकर, जांच अधिकारी एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 3/5/2014 उनके समक्ष विचाराधीन है।

(2) माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा, श्री संतोष बाफना, श्री महेश गागड़ा एवं श्री राजमहंत सांवला राम डाहरे द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री टी.एस. सिंहदेव एवं माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत सभा की अवमानना एवं विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 21/07/2014 उनके समक्षविचाराधीन है।

15. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का आज अंतिम दिन है। मैं इस सत्र के समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चंद्राकर, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस. सिंहदेव एवं समस्त माननीय मंत्रियों तथा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के सहयोग से सभा का यह

सत्र सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो रहा है। साथ ही आगामी सत्र के लिये अनिश्चितकाल हेतु स्थगित हो रहा है। मानसून सत्र को सार्थक बनाने इन्द्रदेव ने भी कृपा की एवं कृषि प्रधान प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई एवं किसानों तथा कृषि पर आश्रित मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी ।

यह सत्र शासकीय कार्यों के सम्पादन के लिये संवैधानिक प्रावधानों के तहत् माननीय राज्यपाल महोदय ने आहूत किया था तथा शासन के समक्ष प्रस्तावित कार्य जैसे प्रथम अनुपूरक अनुमान पर विचार एवं पारण तथा 8 शासकीय विधेयक जो सभा में प्रस्तुत किये गए जिन्हें सभा ने पारित भी किया । इस सत्र में माननीय सदस्यों ने प्रश्नों, ध्यानाकर्षण की सूचनाओं, स्थगन के प्रस्ताव पर नियमों के अंतर्गत चर्चा आदि के माध्यम से सभा के प्रति सरकार की जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया ।

यद्यपि यह सत्र 5 दिवसीय था किन्तु इस 5 दिवसीय सत्र में भी 759 प्रश्न, 54 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं एवं अन्य माध्यमों से पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जनहित के विषयों की ओर सदन में शासन का ध्यान आकर्षित करने व सभा के प्रति जवपाबदेही सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ।

चतुर्थ विधानसभा का यह द्वितीय सत्र इस बात के लिये भी हमेशा याद रखा जायेगा कि राजनीतिक क्रियाकलापों की छाया से सदन की बैठकें दो दिनों तक प्रभावित रहीं । सामान्यतः राजनीतिक रूप से प्रतिपक्ष के द्वारा सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है किंतु प्रतिपक्ष ने इस बार अध्यक्ष के विरूद्ध पद से हटाने का संकल्प प्रस्तुत किया, जो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत विचार योग्य नहीं था तथा व्यपगत हो गया पश्चात् माननीय सदस्यों ने संसदीय व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था को संसदीय कार्यों को रूचि लेकर सम्पादित कर पुष्ट किया ।

मैं संकल्प लाने अथवा नहीं लाने के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता, किंतु यह अवश्य कहना चाहता हूं कि आसंदी पर विराजमान व्यक्ति को उनके पद से हटाने के संबंध में संकल्प का प्रावधान संविधान में उल्लेखित है व इसका आशय सभा से संबंधित कार्यों के निष्पादन में निष्पक्षता से कार्य नहीं करने के आधार पर लाया जाता है अथवा उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के विषयों को आधार बनाकर ।

अध्यक्ष के पद को राजनीतिक क्रियाकलापों का लक्ष्य बनाना कहाँ तक उचित है, यह विचार का प्रश्न है? क्या हमें अध्यक्ष के पद को दलगत राजनीति से पृथक नहीं रखना चाहिए ? यह मैं माननीय सदस्यों के विवेक पर छोड़ता हूं ।

यद्यपि उक्त संबंध में सदन में मामले का पटाक्षेप हो चुका है, किंतु मैं पुनः दोहराना समीचीन समझता हूं कि अध्यक्ष का पद धारित करते ही किसी भी माननीय सदस्य को प्राथमिक रूप से अपने दल की गतिविधियों से अपने आपको पृथक करते हुए संवैधानिक पद की मर्यादा में रहकर कार्य करना होता है ।

मैंने यह प्रयास किया है कि अध्यक्ष का पद धारित करने के पश्चात् मैं दिन प्रतिदिन के राजनीतिक क्रियाकलापों से अपने आपको पृथक रखूं । राजनैतिक उद्देश्य से सभा के बाहर व अंदर अध्यक्ष के पद धारित व्यक्ति के ऊपर अवांछित टीका-टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है ? यह बिंदु भी माननीय सदस्यों के विचार के लिये छोड़ता हूं ।

मैं इस अवसर पर यह अवश्य कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने अपने गठन के दिनांक से संसदीय मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको निरंतर बनाये रखते हुए संसदीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने का हम सबका नैतिक दायित्व है और हम सब यदि संसदीय परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं के प्रति अधिक गंभीर होंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिये प्रेरणादायी होगा ।

अब मैं आपको इस सत्र में सम्पादित हुये संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा । इस सत्र में कुल 5 बैठकों में लगभग 20 घंटे 08 मिनट चर्चा हुई । इन बैठकों में 52 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिये गये । इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 10 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में 574 तारांकित प्रश्न एवं 370 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं । इस प्रकार कुल 944 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 209 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें 54 सूचनाएं ग्राह्य हुईं। इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 64 सूचनाएं प्राप्त हुईं । शून्यकाल की 46 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 37 सूचनायें ग्राह्य और 9 सूचनाएं अग्राह्य रहीं । वर्तमान सत्र में 102 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें 33 ग्राह्य, 40 अग्राह्य एवं 29 विचाराधीन हैं। माननीय सदस्यों द्वारा अशासकीय संकल्प की 7 सूचनाएं दी गईं, जिनमें 2 संकल्प ग्राह्य हुये तथा 1 संकल्प सदन में चर्चा उपरांत स्वीकृत हुआ एवं एक वापस लिया गया । इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 8 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं तथा सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुये ।

सभा में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों ने अपने कार्यकरण एवं सभा की कार्यवाही में भागीदारी से परिपक्व संसदविद् होने के अनेक दृश्य परिलक्षित किये। मैं प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूँ तथा अपेक्षा करता हूँ कि वे निरंतर संसदीय कार्य में रूचि लेकर प्रदेश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 3 घण्टे 20 मिनट चर्चा हुई ।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु दूरदर्शन से प्रश्नकाल का प्रसारण सायं 4.30 से 5.30 बजे तक करने के साथ, विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं के साथ–साथ माननीय सदस्यों के माध्यम से आम नागरिकों को कार्यवाही देखने का अवसर दिया जाता है । इस तारतम्य में 380 छात्र–छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, साथ ही सदस्यों के माध्यम से भी लगभग 2500 नागरिकों ने भी कार्यवाही देखी।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया ।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों, दूरदर्शन एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया ।

सत्र के समापन के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी ।

मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया ।

मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि आज का दिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिये विशेष महत्वपूर्ण रहा। आज अपरान्ह 12.50 बजे छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल माननीय श्री बलराम दास जी टंडन ने छत्तीसगढ़ के सातवें राज्यपाल के रूप में शपथ ली । राज्य के शीर्ष संवैधानिक गरिमामय पद पर पदारूढ़ होने पर मैं अपनी ओर से और सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ । हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय राज्यपाल जी के सुदीर्घ अनुभवों का लाभ विधान सभा को प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन में हम सबके समन्वित प्रयास से छत्तीसगढ़ राज्य के विकास का संकल्प और अधिक मजबूत होगा।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परम्परा रही है, तद्नुसार आगामी शीतकालीन सत्र नवम्बर माह के तृतीय सप्ताह में सम्भावित है।

हम सब संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं छत्तीसगढ़ के विकास के लिये कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद! जय हिन्द! जय छत्तीसगढ़!

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री एवं श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष ने भी उद्गार व्यक्त किए।

16. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

सायं 6.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा